संख्या-40/2022/132/तेइस-14-2022-16(जनरल)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवम् विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 30 मार्च, 2022**

विषय-अनुदान संख्या-58 जिला योजना (पुनर्निर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 05 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कृपया मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-9933बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 07.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत संलग्न **सूची** में उल्लिखित जनपदों की कुल पांच जिला योजना (पुनर्निर्माण) की चालू परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-6 में अंकित कुल लागत रू0 128.18 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-12 में उल्लिखित कुल धनराशि रू0 32.88 लाख (रू0 बत्तीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

4- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

5- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थानीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

7- परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें तथा जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उनके संबंध में परियोजना पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र सहित फोटोग्राफ्स शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय ।

8- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा ।

9- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

10- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

11- प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्माण की संलग्न सूची में उल्लिखित 05 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय ।

12- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1338-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गो/लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/उच्चीकरण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-40/2022/132 (1)/23-14-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल ।

4- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार।

5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.03.2022 के संदर्भ में ।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।

8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–40/2022/132/तेईस–14–2022–16(जनरल)/2021, दिनांक– 30 मार्च, 2022 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत लागत	कार्य पर बचत	वास्तविक लागत	31.03.2021 तक आवंटन / व्यय	01.04.2021 को अवशेष	वर्ष 2021–22 में आवंटन	वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नि0ख0 बलरामपुर	पी0बी0 मार्ग कि0मी0 373 महुआ बाजार से बलुआ जंगली सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य (आबादी भाग में सी0सी0 कार्य)	08/2020/66/तेईस–14–2020–02 आ0जि0यो0/19, दिनांक–06.02.2020	0.17	7.90	0.00	7.90	2.78	5.12	0.00	5.12
2	प्रा0ख0 श्रावस्ती	विकास खण्ड सिरसिया में विशुनापुर पड़वलिया पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से लोहनिया गांव तक सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 2 (800) में पुनर्निर्माण का कार्य।	शासनादेष संख्या–18/2020/127/तेइस–14–2020–10आ0जि0यो0/19 ,दि0 03.03.2020।	0.80	28.71	0.11	28.60	14.28	14.32	8.69	5.63
3	प्रा0ख0, सम्भल	बबराला गवां रहरा मार्ग गवा चौराहे से गवा अनूपशहर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	153/2021/572ख/23–14–2021–57 आ0जि0यो0/2021, दि0–25.03.2021	1.20	33.60	1.48	32.12	16.81	15.31	8.00	7.31
4	प्रा0ख0, सम्भल	हरसिंहपुर से नवाडा सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	153/2021/572ख/23–14–2021–57 आ0जि0यो0/2021, दि0–25.03.2021	0.90	22.79	0.45	22.34	11.39	10.95	5.00	5.95
5	प्रा0ख0, सम्भल	सम्भल जोया मार्ग से पत्था सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	153/2021/572ख/23–14–2021–57 आ0जि0यो0/2021, दि0–25.03.2021	1.35	35.18	0.72	34.46	17.59	16.87	8.00	8.87
			योग	4.42	128.18	2.76	125.42	62.85	62.57	29.69	32.88

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।